



न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 15/2025 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2025/19

1. सन्तराज पुत्र चिमनाराम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. सिलोचना पुत्री चिमनाराम पत्नी टालीराम जाति मेघवाल निवासी लूणिया तह. अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. तुलसी देवी पुत्री चिमनाराम पत्नी राजकुमार जाति मेघवाल निवासी चक 19 पीटीडी तह. रायसिंहनगर श्रीगंगानगर।
4. आशा देवी पुत्री चिमनाराम पत्नी पालाराम जाति मेघवाल निवासी चक 29 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. अन्ना देवी पुत्री चिमनाराम पत्नी चिमनाराम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्दस

बनाम

1. कमलेश पत्नी कृष्णलाल मेघवाल जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. ओमप्रकाश पुत्र गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी चक 12 एनडी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. कृष्णलाल पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. मोहनी देवी पुत्री गोविन्दराम पत्नी रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी नाहरावाली तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. अमरचन्द पुत्र श्री गंगाराम पुत्र श्री गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. भानीराम पुत्र गंगाराम पुत्र गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. सुखराम पुत्र गंगाराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
8. बनवारी पुत्र गंगाराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
9. कान्हाराम पुत्र श्री पूर्णराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
10. श्योपतराम पुत्र श्री पूर्णराम पुत्र गंगाराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल

संभागीय आयुक्त
बीकानेर



- निवासी 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
- 11 देवली पुत्री श्री पूर्णराम पुत्र गंगाराम पुत्र गोविन्दराम पत्नी देवीलाली जाति मेघवाल निवासी चक 3 एनडी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
 - 12 तीजा देवी पत्नी पुर्णराम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
 - 13 द्रोपदी पुत्री लालचंद पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल जाति मेघवाल निवासी चक 18 एसडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
 - 14 मायावन्ती पुत्री लालचंद पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल जाति मेघवाल निवासी चक 8 ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
 - 15 राजू पुत्र लालचंद पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए(बी) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
 - 16 शांति देवी पत्नी लालचंद पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए(बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
 - 17 लिछमणराम पुत्र चिमनाराम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए(बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
 - 18 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अनूपगढ।

— रेस्पोन्डेन्ट्स


उपस्थित: श्री अजय ओझा अभिभाषक अपीलांतस
श्री विजय कुमार पारीक एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
संगीता गहलोट
श्री विजय भादाणी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5

निर्णय

दिनांक 09.03.2026

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार राजस्व, अनूपगढ के निर्णय दिनांक 08.01.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि —


1— वादगत भूमि चक 79 जीबी का मुरब्बा नंबर 298/432 में 12 बीघा भूमि हेमाराम के नाम से खातेदारी रिकॉर्ड दर्ज थीं। हेमाराम के देहान्त के पश्चात एक मात्र वारिस पत्नी बुधा देवी होने के कारण उसके नाम से इंतकाल दर्ज हुआ। बुधा देवी पत्नी हेमाराम का देहान्त दिनांक 05.08.2004 को हो गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ के समक्ष वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार अनूपगढ ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में वसीयत के आधार पर


संभागीय आयुक्त
श्रीगंगानगर



इंतकाल दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। अपीलांट ने तहसीलदार अनूपगढ के आदेश के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ ने अपने निर्णय दिनांक 14.12.2017 द्वारा उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ को रिमाण्ड कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के आदेश दिनांक 14.12.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। इस न्यायालय ने उक्त प्रकरण को तहसीलदार अनूपगढ को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कर दिया कि तहसीलदार अनूपगढ सभी पक्षकारों को सुनकर एवं बुधा देवी के पति मृतक हेमाराम के वारिसान के संबंध में गहनता से जांच करते हुए जायज वारिसान के हक में विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ ने उक्त रिमाण्ड प्रकरण में अपने निर्णय दिनांक 08.01.2025 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पक्ष स्वीकार करते हुए उक्त वादगत भूमि का वसीयत के निर्णय अनुसार कमेलश पत्नी कृष्णलाल जाति मेघवाल के नाम से पूर्व में दर्ज नामांतरकरण की प्रविष्ट वर्तमान जमाबंदी अनुसार यथावत रखे जाने के आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ के उक्त आदेश दिनांक 08.01.2025 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ सभी पक्षों को सुनकर एवं बुंधादेवी के पति मृतक हेमाराम के वारिसान के संबंध में गहनता से जांच करते हुए जायज वारिसान के हक में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। जिस पर तहसीलदार अनूपगढ के द्वारा दिनांक 10.11.2023 को पत्रावली पेशी में ली जाकर सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये गये बगैर एवं बुंधादेवी के पति मृतक हेमाराम के वारिसान की गहनता से जांच किये बगैर ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में विधि विरुद्ध तरीके से कानूनी प्रावधानों को ताक बगैर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में विधि विरुद्ध तरीके से कानूनी प्रावधानों को ताक पर रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से मौका एवं रिकॉर्ड की रिपोर्ट चाही गई जिसमें पटवारी हल्का द्वारा जैर अपील कृषि भूमि के संबंध में कोई वाद विवाद स्थगन आदि नहीं होने के तथ्य अंकित करते हुए रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ के समक्ष प्रस्तुत की जबकि जैर अपील भूमि के संबंध में


संभागीय आयुक्त
बीकानेर



एक वाद अनवान अमरचंद बनाम किशनलाल केस नंबर 230/4 विचाराधीन है। एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए का भी पेश किया गया जिसमें उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के द्वारा आदेश पारित किये गये है कि दोनों पक्षकार मौके की स्थिति व रिकॉर्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें। एक अन्य वाद अनवान चिमना राम बनाम गोविन्द राम केस नंबर 2/07 दिनांक 18.01.2007 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ में विचाराधीन हैं उक्त दोनों वाद में स्टेट ऑफ राजस्थान तहसीलदार अनूपगढ पक्षकार भी हैं। उक्त वादगत भूमि कें विवादित एवं स्थगन आदेश होने के बावजूद भी न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट वारस्तविक तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत की गई। जो कि विधि विरुद्ध है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के द्वारा तैयार की गई वसीयत फर्जी एवं बनावटी एवं कूटरचित दस्तावेज तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 10.11.2003 में कृष्णलाल को मृतक बुधादेवी एवं हेमाराम का पुत्र होना अंकित है। जबकि कृष्ण लाल के द्वारा मृतक बुधादेवी के खिलाफ एवं वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष बअनवान कृष्णलाल बनाम बुधादेवी केंस नंबर 127/01 पेश किया गया। अगर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का पति कृष्ण लाल मृतका बुधादेवी का पुत्र होता तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष वाद पेश नहीं करता। इस प्रकार कृष्णलाल द्वारा प्रस्तुत वाद से स्पष्टता जाहिर होता है कि तथाकथित वसीयत प्रथम दृष्टया ही फर्जी है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार अनूपगढ दिनांक 08.01.2025 खारिज फरमाया जावे।

3- विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने दौराने बहस में कथन किया है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या द्वारा प्रस्तुत गोदनामा बुद्धादेवी दिनांक 11.02.2003 अवैध है क्योंकि गोदनामा रजिस्टर्ड नहीं है। गोदनामें का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। उक्त गोदनामें की कोई बेधता नहीं है। गोदनामें की प्रथम शर्त यह होती है कि गोद जाने वाला नाबालिग होना जरूरी है तथा उसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती जबकि अमरचन्द्र के तथाकथित गोदनामें में स्वयं की उम्र 25 वर्ष लिखी है उक्त गोदनामा अवैध व शून्य है। इस संबंध अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1996 पेज 521 का हवाला दिया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 अमरचन्द्र के द्वारा तथाकथित बुद्धादेवी की वसीयत पेश की गई है जो दिनांक 11.02.2003 को लिखी जाकर ओथकमिशनर से दिनांक 14.02.2003 तस्दीक करवाई है वसीयत में किस मुरब्बा नम्बर की वसीयत की गई है अंकित ही नहीं है तथा वसीयत में लिखा जाता है कि

संभाग-बीकानेर
न्यायालय



अमरचन्द पुत्र गंगाराम को वसीयत करती हूँ जबकि अगर दिनांक 11.02.2003 को गोदनामा हो गया था तो वसीयत में गोदपुत्र लिखा जाता जबकि वसीयत में अमरचन्द पुत्र गंगाराम लिखा गया है जो उसका जन्म देने वाला पिता हैं। स्पष्ट है कि गोदनामा हुआ ही नहीं था तथा वसीयत शून्य है क्योंकि अमरचन्द जन्म से ही आज तक अपने परिवार जन्म देने वाले पिता के साथ ही रहता है तथा उसकी की भूमि के आज भी तारीख में 1/6 हिस्सा अमरचन्द का गंगाराम की भूमि में है। जिसकी जमाबंदी प्रस्तुत की। बुधादेवी ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में अपीलाधीन भूमि की वसीयत दिनांक 10.11.2003 को कर दी थी जिससे स्पष्ट है कि प्रथम वसीयत अगर कोई थी तो भी बाद में वसीयत होने से स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। इस संबंध अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2006 पेज 190 एवं आरआरडी 2008 पेज 196 का हवाला दिया। वसीयत सिविल कोर्ट के द्वारा ही निरस्त की जा सकती है, अगर अमरचन्द कमलेश की वसीयत को गलत कहता है तो उसे सिविल न्यायालय में जाना होगा। रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 एवं अपीलांत द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की वसीयत को सिविल न्यायालय में चैलेज किया था तथा कमलेश द्वारा उक्त भूमि का बेचवान किया गया उसे भी अमरचन्द ने सिविल न्यायालय में चैलेज किया जो दिनांक 01.03.2025 को वाद खारिज कर दिया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में उसकी वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज हो गया था तथा प्रकरण रिमाण्ड होने के बाद पुनः दिनांक 08.01.2025 को कमलेश के पक्ष में सुनवाई की जाकर इंतकाल यथावत रखा गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 एवं अपीलांत द्वारा खातेदारी घोषित करवाने बाबत घोषणात्मक वाद उपखण्ड अधिकारी के समक्ष सन 2004 से विचाराधीन है। दावों की प्रति व आज तक की फर्द अहकाम की नकल पेश की चुकी हैं। सिविल न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि जो घोषणात्मक वाद जैरकार है उसी में वसीयत बाबत एवं अधिकारों बाबत अनुतोष वही से प्राप्त करें। इस संबंध अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने न्यायिक दृष्टांत आरआर 2010 पेज 392, आरआर 2000 पेज 557 एवं आरआर 2008 पेज 383 का हवाला दिया। सिविल न्यायालय ने बैयनामा एवं वसीयत कमलेश वैध करार दी है तथा अमरचन्द का दावा खारिज कर दिया है। माननीय इसी न्यायालय द्वारा निर्णय रानी बनाम रतनजीत कौर दिनांक 05.08.2025 में निर्णय पारित किया है कि वसीयत द्वारा दर्ज इंतकाल बैध रहेगा, आपत्तिकर्ता चाहे तो सिविल न्यायालय में वसीयत को खारिज करवायें। अतः अपील अपीलांत उपरोक्त

न्यायालय जायपुर
बीकानेर



आधारों पर खारिज की जावे, सिविल न्यायालय का निर्णय हो चुका है। सिविल कोर्ट ने कमलेश की वसीयत वैध करार दिया है एवं बैयनामों को भी वैध करार दिया है। अपीलांट चाहे तो सन 2004 से जैरकार स्वयं के दावों में अधिकार तय करवायें।

4- विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 05 ने दौराने बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में लिखी गई वसीयत सफेद पेपर पर लिखी गई हैं वसीयत का यह मूल सिद्धांत है कि पूर्व में वसीयत लिखी गई है तो उसको निरस्त करने का हवाला देना आवश्यक हैं। मगर इस वसीयत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं हैं तथा ना ही दो गवाहों के हस्ताक्षर है तथा इस वसीयत में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति कृष्णलाल को अपना पुत्र बताया गया है जबकि उसके कोई पुत्र था ही नहीं। इसी कारण हेमारांम के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि को इंतकाल एकमात्र वारिस बुधादेवी के नाम दर्ज हुआ। बुधादेवी की वसीयत में एक गवाह गोविन्दराम पुत्र माडूराम जो कमलेश का ससुर है तथा एक अन्य गवाह नारायण राम पुत्र बनवारी लाल है जिसके हस्ताक्षर वसीयत में नहीं है तथा ये हस्ताक्षर किसके समक्ष किये गये, यह कही पर भी स्पष्ट नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में की गई वसीयत अनरजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड वसीयत पर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के रूल्स 132 के मुताबिक अनरजिस्टर्ड वसीयत पर इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 137 के द्वारा रिक्तिरिवाज में मुताबिक दत्तक पुत्र लिया जा सकता है। गोदनामा इसी श्रेणी में आता है इसको ना मानकर अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने बुधा देवी की भूमि पर कब्जा अमरचन्द का माना है तथा अमरचन्द ही इस भूमि की देखरेख व ठेके पर देता था, इससे साफ जाहिर होता है कि अमरचन्द बुधादेवी का उत्तराधिकारी था। रिमाण्ड आदेश के मुताबिक वारिसों की कोई गहनता से जांच नहीं की गई तथा ना ही प्रस्तुत दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया ता ना ही उसको ना मानने का कारण अपने आदेश में दर्शाया नहीं है। महज रेस्पोडेन्ट संख्या 5 अमरचन्द की उम्र 25 वर्ष है तथा एक अन्य कृषि भूमि की जमाबंदी में अमरचंद के पिता गंगाराम दर्ज है। इसको आधार मानकर जो निर्णय दिया गया है वो विधिसम्मत नहीं हैं। अतः अपीलाधीन आदेश तहसीलदार अनूपगढ दिनांक 08.01.2025 खारिज फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 05 के नाम से इंतकाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावें।

संघीय न्यायालय
सोनपटना



5- हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांत, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। वादगत भूमि चक 79 जीबी का मुरब्बा नंबर 298/432 में 12 बीघा भूमि के संबंध में इस न्यायालय ने प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कर दिया कि तहसीलदार अनूपगढ़ सभी पक्षकारों को सुनकर एवं बुधा देवी के पति मृतक हेमाराम के वारिसान के संबंध में गहनता से जांच करते हुए जायज वारिसान के हक में विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ ने निर्णय में अंकित किया है कि हल्का पटवारी रिपोर्ट में कब्जा काश्त अमरचन्द का है और चक 79 के अन्य खाते में अमरचन्द के पिता का नाम गंगाराम दर्ज है और अमरचन्द के पक्ष में किया गए गोदनामें में अमरचन्द की आयु 25 वर्ष लिखी गई जो नियमों के विरुद्ध है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनकर एवं समस्त दस्तावेजों के अवलोकन के बाद ही रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 के कथनो को विश्वास योग्य नहीं माना है। उक्त प्रकरण पत्रावली के अवलोकन से यह न्यायालय संतुष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ ने प्रकरण में सभी पक्षों को सुनकर जांच करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित किया है।

तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ ने उक्त प्रकरण में द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 पक्ष में वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 08.01.2005 पारित कर दिया। अपीलांत एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 ता 6 ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 10.11.2003 को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करवाया। ऐसी स्थिति में जब तक अपीलाधीन वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है, तब तक उक्त वसीयत के आधार पर पारित नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 08.01.2025 को कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.01.2025 को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.01.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.01.2025 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांत इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

सभागीय आयुक्त
बीकानेर



6- तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 का लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर